

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वी-31/83)/अलेसे-11/ 35-356

दिनांक :- 18.08.2022

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.3(ख)से.नि/अलेसे-11/2512 दिनांक 02.02.2019 द्वारा श्री वृन्दावन बिहारी शर्मा (लिक नं. 2839) सेवानिवृत्त सलेअ ग्रेड-11 कार्यालय कोषालय, सवाई माधोपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर में अपराध संख्या-321/2009 व 322/2009 दर्ज होने के कारण वित्त (नियम) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम/996 के नियम 78 के नीचे अंकित प्रारूप 6 में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। चूंकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अशा) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ने पत्र क्रमांक 4126-4127 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा श्री वृन्दावन बिहारी शर्मा तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर के विरुद्ध अपराध संख्या-321/2009 एवं 322/2009 के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर उक्त प्रकरण में इन्हें आरोपी नहीं माना है।

इस संबंध में लेख है कि श्री शर्मा सेवानिवृत्त सलेअ-11 के विरुद्ध अपराध संख्या-321/2009 एवं 322/2009 में कोई विभागीय अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2018 के क्रम में राज. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 78 में अंकित प्रारूप 6 में निम्न प्रमाणित किया जाता है कि श्री शर्मा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वी-31/83)/अलेसे-11/ 35-356

दिनांक :- 18.08.2022

प्रतिलिपी :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष /
4. कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर
5. श्री वृन्दावन बिहारी शर्मा से.नि. सहायक लेखाधिकारी-11 कार्यालय कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. डीपीसी / जांच / एसीआर / पीएफ

(मनजी सिंह सोनी)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)